हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

उनवानी रामकुवार बनाम भूमिधारी मु.सं. 715/2023

तारीख हुक्म	
21-08-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताकिब तहसीलदार रिपोर्ट जमा0 सं0 2075–2078 के अनुसार ख0नं0 377 रकबा 1.16 है0 राजस्व ग्राम भोमगढ में दर्ज है जो कि पूर्व में राजस्व ग्राम भगोट का ख0नं0 253 दर्ज था। नामा0 सं0 337 में ख0नं0 253 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा विक्रेता भेरूसिंह पुत्र फूलसिंह, नारायण पुत्र डुगसिंह कौम राजपूत सा0 भगेगा से क्रेता बोदु पुत्र गीधा, नानगा पुत्र कालू, रामकुंवार पुत्र कालू, मूला पुत्र सीता, मुसा पुत्र गीधा जाति गुर्जर ढाणी पालवाली तन भगेगा दिनांक 13.09.1985 में नामान्तरकरण दर्ज हैं। जमा0 सं0 2041–2044 में नामा0 सं0 337 के द्वारा ख0नं0 2053 के खाते की खातेदारी बोदु पुत्र गीधा, नानगा पुत्र कालू, मूला पुत्र सीता, मुसा पुत्र गीधा जाति गुर्जर ढाणी पालवाली तन भगेगा के नाम स्वीकार हुआ का नोट लगा हुआ हैं एवं प्रार्थी का नाम जमा0 में सहवन से नामा0 के नोट में छूट गया। जिस कारण राजस्व ग्राम भोमगढ ख0नं0 377 रकबा 1.16 है0 में प्रार्थी का नाम नियमानुसार दर्ज किया उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम भोमगढ पटवार हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित ख.नं. 377 रकवा 1.16 है0 (पुराने ख0नं0 253 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा तन ग्राम भगोट) में नामान्तरकरण संख्या 377 ग्राम पंचायत भगेगा दिनांक 13.09.1985 के अनुसार प्रार्थी [illegible] खातेदारी [illegible] जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय [illegible] सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.08.28 12:31:57
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना